

18/10
22

पतापदी पेशा हुई) वकील वादी को प्रतिपक्ष
मज की सम्मत तलापना शिज्कूट एडिफिडा
करके हट करे अथवा दिने जाने के उपरांत
भी सम्मत तलापना शिज्कूट एडिफिडा पेश नहीं
करके पट वाद पत्र डिस्ट्री-9 निम्न-5
सी.बी.जी कि तथै स्वारीज कीमा जाता है।
पतापदी मैशाल अथवा डिमर सम्मत कि कान के
आपक दाखील दफ्तरे है।

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)

